

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27062022-236840
SG-DL-E-27062022-236840असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]	दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2022/आषाढ़ 6, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 152
No. 25]	DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2022/ASADHA 6, 1944	[N. C. T. D. No. 152

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जून, 2022

सं. सी.ई.ओ./सी.ओ.ई./102 (20)/2022/ 18080.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार, परिणाम की घोषणा जो कि रिटर्निंग ऑफिसर 39- राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ने की है, प्रकाशित करता है:—

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 घ

(नियम 64 देखिये)

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

39- राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री दुर्गेश पाठक,
ए-768, गली नं.- 10, ए 1-ब्लॉक,
सोनिया विहार, दिल्ली

[जो आम आदमी पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं]

उस सदन में, श्री राघव चड्ढा के पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।
स्थान: दिल्ली
तारीख: 26/06/2022

राकेश शर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर
आदेश से,
राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER : DELHI
NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2022

No. CEO/COE/102(20)/2022/18080.—In pursuance of Section 67 of the Representation of the People Act, 1951(43 of 1951), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby publishes the declaration of result made by the Returning Officer of 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency:-

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

Form 21D

(See rule 64)

(For use in Election to fill a casual vacancy when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi from 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SH. DURGESH PATHAK
A-768, GALI NO. 10, A 1-BLOCK,
SONIA VIHAR, DELHI

[Sponsored by Aam Aadmi Party] has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Sh. Raghav Chadha.

Place : Delhi
Date : 26-06-2022

RAKESH SHARMA, Returning Officer,
By Order,
RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi